उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 सं0–08/2018–19

कैलाश यादव

बनाम्

मंजू देवी वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 1/8/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कैलाश यादव, पे0–स्व0 बलदेव यादव, सा0–मैनाचक, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–154/2016–17 के आदेश दिनांक–12.06.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–154/2016–17 के आदेश दिनांक–12.06.2018 के द्वारा मौजा मैनाचक नं0–67, जमाबंदी सं0–26, दाग नं0–213 रकवा–00–07–13 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 ने मौजा मैनाचक नं0–67, जमाबंदी सं0–26, दाग नं0–213 रकवा–00–07–13 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए निम्न न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–154/2016–17 दायर किया गया था। निम्न न्यायालय से नोटिश प्राप्त होने पर अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर मामले पर बहस किया कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान बना हुआ है एवं उस मकान पर अपीलकर्त्ता सपरिवार निवास कर रहे हैं। उक्त जमीन उन्हें उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत प्रयाग साह एवं विशु साह के वंशज से दान स्वरूप वर्ष 2010 में प्राप्त हुआ है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा कोई जाँच प्रतिवेदन की माँग नहीं की गयी एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी मंजू देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता स्वयं स्वीकार करते है कि प्रश्नगत जमीन उनकी अपनी जमीन

नहीं है बल्कि जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा वर्ष 2010 में दान में दिया गया था। जबकि संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के अनुसार रैयती जमीन दान में नहीं दिया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है। उनका उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशज से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता ने जबरन उत्तरवादी की जमीन को कब्जा किया है। इसलिए उच्छेद किया जाना न्यायसंगत है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–981, दिनांक–18.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मैनाचक, थाना नं0–67, जमाबंदी नं0–27, कुल रकवा–01–11–01 धुर खतियानी रैयत शमपती साह वो रघुनन्दन साह वो जदु साह पेशरान शिवचरण साह वो भतु साह वो वचोली साह पेशरान बिहारी साह कौम तेली शा0 देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–213 रकवा–00–07–13 धुर किस्म बाड़ी औवल दखल भतु साह एवं दाग नं0–214 रकवा–00–03–07 धुर किस्म मकानमय सहन दखल भतु साह के नाम से गत सर्वे में दर्ज है। अपीलकर्त्ता का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। जबकि उत्तरवादी मंजू देवी वगैरह जमाबंदी रैयत का वंशज है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि मौजा–मैनाचक, थाना नं0–67, जमाबंदी नं0–27, कुल रकवा–01–11–01 धुर जमीन जमाबंदी रैयत शमपती साह वो रघुनन्दन साह वो जदु साह पेशरान शिवचरण साह वो भतु साह वो वचोली साह पेशरान बिहारी साह कौम तेली शा0 देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमीन दान पत्र से प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन चूँकि उक्त जमीन जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–154/2016–17 में दिनांक–12.06.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 01/08/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 01/08/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:58:58 +05:30
Location: 192.168.1.38